

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज् अदालत उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

श्री गाराप

श्री रवल

रस्म प्रकारण :- राजस्व वादके 250/17

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
14/11/17	<p>यह वाद वादी के अधिवक्ता श्री इन्द्रलिंग शर्मा ने उपस्थित होकर प्रतिवादीगणों के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 के तहत पेश किया। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण को जरिये समन् तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 18/12/17 को पेश हो।</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता 18.12.17</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 24.1.18 को प्रस्तुत करें।</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता 24.1.18</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 19.3.18 को प्रस्तुत करें।</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता दि- 17, 18 व 19.3.18 को अवकाश होने के कारण।</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 11.5.18 को प्रस्तुत करें।</p>	

11.06.18

Note
Deer
Omela
11-6-18

पञ्जावली न्याय द्वाप के डाट
शिविल में अल सेवा केन्द्र
द्वारा में पैरा हुआ। वकील
वाडी ने नोट प्रेस कर गिवेन
दिना कि वाडी काड को भागे नहीं
चलावा चाहता है। काड के जरिये
विद्रोह श्वारीज किया जावे।
वकील वाडी के डाट नोट प्रेस
करने के कारण वाडी का काड
जदि विद्रोह श्वारीज किया
जाता है पञ्जावली के सुल कुमार
होकर उफाड दाखिल हो


11-6-18